

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देसूरी जिला-पाली

पीठारसीन अधिकारी :- श्रीमति राजलक्ष्मी महलोत (RAS)

म्यूटेशन अपील संख्या :- 06/2021

दायरा दिनांक :- 10/12/2021

अपीलांट :- मृतक फूली देवी पुत्री स्व० हेमारामजी के विधिक वारिसान (उत्तराधिकारी)

1. मुकेश चौधरी पुत्र मोडारामजी।
2. पकाराम पुत्र मोडारामजी जातिगण-सिरवी निवासीगण-नारलाई तहसील देसूरी जिला-पाली (राज.)

- : बनाम : -

रेस्पोंडेन्ट्स :-

1. सरपंच ग्राम पंचायत नाडोल तहसील देसूरी जिला-पाली (राजस्थान)
2. कन्या पुत्री हेमारामजी, जाति-सिरवी निवासी-नाडोल हाल निवासी-किशनपुरा तहसील रानी जिला-पाली।
3. मृतक गजरो पुत्री हेमारामजी जाति-सिरवी के विधिक वारिसान (उत्तराधिकारी) :-
अ. वेनाराम पुत्र केसाजी जाति-सिरवी निवासी-नाडोल तहसील देसूरी जिला-पाली।
ब. चकुली पुत्री वेनारामजी
स. हर्षित पुत्र वेनारामजी आयु नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक पिता वेनाराम पुत्र केसाजी जातिगण-सिरवी निवासी-नाडोल तहसील देसूरी जिला-पाली हाल निवासी घेनडी, तहसील-रानी जिला-पाली।
4. तहसीलदार देसूरी (भूमिधारी) जरिये राजस्थान सरकार की ओर से।

म्यूटेशन अपील अन्तर्गत धारा-75 राज० भू-राजस्व अधिनियम विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या-1226 स्वीकृत दिनांक 80/06/2009 द्वारा ग्राम पंचायत नाडोल, निरस्त करने

उपरिस्थिति :-

1. श्री फिरोज खान शेख अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री हुकमसिंह अधिवक्ता अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 की ओर से।



**सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)**



- : निर्णय : -

दिनांक : 22/06/2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्त ने यह अपील विरुद्ध रेस्पोडेन्ट्स के मय प्रार्थना-पत्र म्याद अधिनियम की धारा 5 के इस आशय की प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्त मृतक फूली देवी पुत्री हेमारामजी के विधिक वारिसान (उत्तराधिकारी) है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या-2 मृतक हेमारामजी की पुत्री है। रेस्पोडेन्ट संख्या-3 (अ) (ब) और (स) मृतक गजरो देवी पुत्री हेमारामजी के विधिक वारिसान (उत्तराधिकारी) है। इस प्रकार मृतक हेमाराम पुत्र मोटाजी के विधिक वारिसान मांगीलाल (पुत्र), पेपीबाई (पत्नी), कन्या (पुत्री), गजरो देवी (पुत्री), फूली देवी (पुत्री) हुए, जिसमें से पुत्र मांगीलाल लाऔलाद फौत हो चुका है एवं पुत्री गजरो देवी भी फौत हो चुकी है तथा पेपीबाई भी फौत हो चुकी है। जिससे वर्तमान में मृतक हेमारामजी के विधिक वारिसान एवं रेस्पोडेन्ट संख्या-2 व 3 (अ),(ब),(स) है।

अपीलान्त ने कथन किया कि सरहद मौजा ग्राम नाडोल चक-2 तहसील देसूरी जिला-पाली में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 3146 रकबा 3.4400 हेक्टर, किस्म चाही प्रथम, जाव अवल, खसरा नम्बर 3147 रकबा 1.5500 हेक्टर किस्म चाही प्रथम, जाव अवल खसरा नम्बर 3148 रकबा 0.0300 हेक्टर किस्म गै0मु0 खसरा नम्बर 3149 रकबा 0.0100 हेक्टर किस्म गै0मु0, खसरा नम्बर 3150 रकबा 0.1000 हेक्टर किस्म गै0मु0, खसरा नम्बर 3151 रकबा 0.0100 हेक्टर किस्म गै0मु0, खसरा नम्बर 3152 रकबा 0.0200 हेक्टर किस्म गै0मु0 खसरा नम्बर 3153 रकबा 3.3900 किस्म चाही प्रथम जाव अवल खसरा नम्बर 3156 रकबा 0.0300 हेक्टर किस्म गै0मु0, खसरा नम्बर 3157 रकबा 0.0600 हेक्टर किस्म गै0मु0, खसरा नम्बर 3158 रकबा 8.5000 हेक्टर किस्म चाही प्रथम जाव अवल, खसरा नम्बर 3159 रकबा 3.1700 हेक्टर किस्म चाही प्रथम जाव अवल कुल खसरा 12 कुल रकबा 20.3100 लगान रूपये 622.9900 एवं खसरा नम्बर 3914 रकबा 0.5300 हेक्टर खसरा नम्बर 3946 रकबा 0.2800 हेक्टर किस्म तमाम-बाराणी दायम कुल रकबा 0.8100 हेक्टर लगान रूपये 4.05 में अपीलान्त के नानाजी, हेमारामजी पुत्र मोटाजी की खातेदारी का कब्जा एवं काशतशुदा हिस्सा आता था। अपीलान्त के नानाजी हेमारामजी मृत्यु दिनांक 15/11/1995 को होने से उक्त कृषि भूमि में उनके विधिक वारिसान (उत्तराधिकारी) का फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 1226 दिनांक 29/05/2009 को हल्का पटवारी चक-2 द्वारा भरा गया, भू-अभिलेख निरीक्षक नाडोल द्वारा जांच व मिलान कर स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायत नाडोल को प्रस्तुत किया गया ग्राम पंचायत नाडोल द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1226 दिनांक 08/06/2009 को स्वीकृत किया गया उक्त फौतेदगी नामान्तरकरण बिना किसी जांच के विधि विरुद्ध भरा गया, विधि विरुद्ध होने से काबिज खारिज के है।



महायक कलेक्टर
(एस. डी. ओ.) दमूरी (पाली)


नामान्तरकरण भरा है जबकि स्व० हेमारामजी के वारिस में उनकी पुत्री स्व० फूलीदेवी भी है जिसके वारिसान अपीलान्टस है। अपीलान्ट के नाम फौतेदगी नामान्तरकरण के इन्द्राज नहीं किये हैं। अपीलान्टस स्व० हेमारामजी के दोहिते लगते हैं जो अपने नानाजी हेमारामजी की खातेदारी भूमि में हक व हिस्सा प्राप्त करने के विधिक रूप से अधिकारी हैं।

नामान्तरकरण संख्या 1226 पटवारी हल्का नाडोल चक-2 द्वारा बिना जांच, बिना पूछताछ किये भरा गया। पटवारी हल्का द्वारा बिना जांच स्व० हेमाराम पुत्र मोटाजी के स्थान पर पेपीबाई पत्नी हेमाराम, कन्या, गजरो पुत्रियां स्व० हेमाराम के नाम से फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज कर जांच हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक नाडोल को भेज दिया। उसके बाद स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायत नाडोल को भेजा गया। सरपंच ग्राम पंचायत नाडोल द्वारा बिना पूछताछ किये व बिना किसी सूचना जांच पडताल के नामान्तरकरण संख्या 1226 दिनांक 08/06/2009 को स्वीकृत कर दिया जबकि फौतेदगी नामान्तरकरण स्व० हेमाराम पुत्र मोटाजी के स्थान पर उनके सभी विधिक वारिसान पेपीबाई पत्नी हेमाराम, कन्या, गजरो पुत्रियां, हेमाराम व अपीलान्टस मुकेश चौधरी व पकाराम पुत्रगण स्व० फूलीदेवी पत्नी मोडाराम के नाम से नामान्तरकरण भरना था जो विधि एवं न्याय संगत था। विधि विरुद्ध भरे गये नामान्तरकरण में वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में कन्या पुत्र हेमा, गजरो पुत्री हेमा व पेपीबाई पत्नी हेमा का नाम ही चला आ रहा है। उक्त नामान्तरकरण विधि विरुद्ध भरा गया है। पुनः नये सिरे से उक्त नामान्तरकरण भरा जाकर अपीलान्ट का नाम इन्द्राज किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

मृतक हेमा की पत्नी पेपीबाई का देहांत दिनांक 14/12/2011 को हो चुका है, जिनके पीछे विधिक वारिसान (उत्तराधिकारी) अपीलान्टस एवं रेस्पोंडेन्ट्स संख्या-2 व 3 (अ),(ब),(स) है तथा मृतक हेमा की पुत्री गजरो देवी का भी देहांत हो चुका है जिससे इस अपील में स्व० गजरो के वारिसान (उत्तराधिकारी) रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 3 (अ),(ब),(स) को पक्षकार बताया गया है तथा मृतक हेमा की पुत्री फूलीदेवी का देहांत दिनांक 21/09/1997 को होने से उनके विधिक वारिसान (उत्तराधिकारी) अपीलान्टस मुकेश चौधरी व पकाराम है।

रेस्पोंडेन्ट्स संख्या-1 सरपंच ग्राम पंचायत नाडोल द्वारा बिना किसी जांच किये, बिना सूचना के नामान्तरकरण स्वीकृत किया है जो विधि विरुद्ध है जो कानून के सर्वथा विपरीत है, नामान्तरकरण काबिल निरस्त के है। अपीलान्ट को अपने नाम बाबत सन्देह होने पर पटवारी नाडोल चक-2 से दिनांक 15/11/2021 को नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की जिस पर अपीलान्ट को अपना नाम वर्तमान जमाबंदी में दर्ज नहीं होने की जानकारी हुई।

अपीलान्ट ने प्रस्तुत अपील में कथन किया कि नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 15/11/2021 को होने से अपील प्रस्तुत करने में हुई देशी को धारा-5 मियाद अधिनियम के तहत देशी को कन्डोन करते हुए दिनांक 15/11/2021 से मियाद 30 दिवस के अन्दर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया



सहायक कलेक्टर
(ए.डी.ओ.) देवरी (राज.)

है। रेस्पोंडेंट संख्या 4 राज्य सरकार की ओर से भूमिधारी होने से पक्षकार बताया गया है।


अपीलांट ने नामान्तरकरण अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट स्वीकार की जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को धारा-5 मियाद अधिनियम के तहत कन्डोन फरमाई जाकर मृतक हेमा पुत्र मोटा के वारिसानों के नाम से विधि विरुद्ध भरा गया फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 1226 स्वीकृत दिनांक 08/06/2009 को निरस्त फरमाया जाकर जांच कर अपीलांट का नाम इन्द्राज कर नये सिरे से फौतेदगी नामान्तरकरण भरा जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रस्तुत अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंटस को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोंडेंटस संख्या 1 बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। रेस्पोंडेंट संख्या 2 व 3 के नोटिस बाहर रहने से रजिस्टर्ड ए/डी से भेजे गये। रेस्पोंडेंट संख्या 4 फोरमल पक्षकार है।

प्रस्तुत अपील में दिनांक 22/06/2022 को रेस्पोंडेंटस संख्या 2 कन्या पुत्री हेमारामजी मय अधिवक्ता श्री हुकमसिंह उपस्थित। रेस्पोंडेंट संख्या-3 के उत्तराधिकारी (अ) वेनाराम पुत्र केसाजी रेस्पोंडेंट संख्या (ब) व (स) नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक के पिता वेनाराम पुत्र केसाजी उपस्थित एवं अपीलांट मृतक फूली देवी पुत्री स्व० हेमारामजी के उत्तराधिकारी अपीलांट संख्या (1) मुकेश चौधरी पुत्र मोडाराम व पकाराम पुत्र मोडाराम चौधरी उपस्थित मय अधिवक्ता श्री फिरोज खान उपस्थित।

अपीलान्ट्स एवं रेस्पोंडेंटस संख्या (2) कन्या एवं (3) के (अ) वेनाराम मय अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर अपील में राजीनामा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त अनवान प्रकरण में रेस्पोंडेंटस कन्या पुत्री हेमारामजी जाति-सिरवी निवासी नाडोल एवं मृतक गजरो पुत्री हेमारामजी के वारिसान वेनाराम, चकूली व हर्षित नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक पिता वेनाराम निवासीगण नाडोल एवं अपीलांट मृतक फूलीदेवी पुत्री स्व० हेमारामजी के वारिसान मुकेश चौधरी व पकाराम की ओर से प्रकरण में अपीलांट व रेस्पोंडेंटस के मध्य आपसी समझाईस से राजीनामा हो गया है। अपीलान्ट्स की अपील स्वीकार की जाकर मृतक हेमा पुत्र मोटा के वारिसानों के नाम से भरा फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 1226 स्वीकृत दिनांक 08/06/2009 को निरस्त फरमाया जाकर पुनः नये सिरे से अपीलांट मुकेश चौधरी व पकाराम पुत्रगण मोडाराम व रेस्पोंडेंटस कन्या पुत्री हेमारामजी व मृतक गजरो के वारिसान चकूली पुत्री वेनाराम, हर्षित पुत्र वेनाराम आयु नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक पिता वेनाराम पुत्र केसाजी के नाम से नामान्तरकरण भरा जावे जो सभी की सहमति है किसी को कोई एतराज नहीं है। राजीनामा अनुसार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।




सहायक कलेक्टर
(एन. डी. ओ.) देमूरा (बाली)


प्रस्तुत राजीनामा वाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत राजीनामा पर पक्षकारान द्वारा हस्ताक्षर किये गये। जिनकी पहचान अपने-अपने अधिवक्ता द्वारा की गई।

अपील प्रकरण में अपलांट एवं रेस्पोंडेन्ट के अधिवक्ता एवं उपस्थित पक्षकारान को प्रस्तुत राजीनामा पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट की अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0भू0राजस्व अधिनियम धारा 5 मियाद अधिनियम में शुमार की जाकर पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार स्वीकार की जाती है। सरपंच ग्राम पंचायत नाडोल द्वारा मृतक हेमा पुत्र मोटा के वारिसानो के नाम विधि विरुद्ध भरा गया फोतेदगी नामान्तरकरण संख्या 1226 स्वीकृत दिनांक 08/06/2009 अपास्त किया जाता है। तहसीलदार देसूरी को अपील रिमाण्ड कर निर्देश दिये जाते है कि पुनः नये सिरे से अपीलान्ट मुकेश चौधरी व पकाराम पुत्रगण मोडाराम व रेस्पोंडेन्टस कन्या पुत्री हेमारामजी व मृतक गजरो के वारिसान चकूली पुत्री वेनाराम, हर्षित पुत्र वेनाराम आयु नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक पिता वेनाराम पुत्र केसाजी के नाम फोतेदगी नामान्तरकरण भरा जाने के अवेत दिये जाते है।



दिनांक 22/06/2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।


सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)
देसूरी


सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)
देसूरी